

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक कोर्ट/डीसी/
2023/373 दिनांक 24.08.2023 के क्रम में उक्त अपील
पत्रावली का सुनवाई क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को कर दिये
जाने से अपील पत्रावली न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है। अतः दर्ज रजिस्टर की
जावें। पक्षकारान के अधिवक्ता आयन्दा सुनवाई हेतु दिनांक
15.12.23 को न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित रहे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

15.12.23

वकील पक्षकारान उपस्थित / वे जजब / बहस हेतु
समय चाहते है समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक
22.12.23 को पेश हो।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

22.12.23

वकील पक्षकारान उपस्थित / वे जजब / बहस हेतु
समय चाहते है समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक
11.1.24 को पेश हो।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

4/1/24

पत्रावली पेश हुई रा. आर्धः उपास्थित, अपीलांत एवं आविष्यता अपी: व
उपास्थित होने जावत न्यायालय हाजा की ओर से तीन-चार आव
लगवाई गयी परन्तु न तो अपीलांत स्वयं उपास्थित हुए और न
अपीलांत के अधिवक्ता आज सुनवाई हेतु उपास्थित हुए है ऐसे में
अपील को अनावश्यक रूप से विचारधीन रखा जाना उचित प्र
नही होता है अतः अपील अपीलांत आविष्यता की अनुपास्थिती में
हाजरी में श्वारीज की जाती है पत्रावली वास्तु निर्णित होकर मम्बर
क्रम हो। पृष्ठा रेकॉर्ड लाटाया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

2010 47 जन...
ने अपील पत्र में वर्णित तथ्यों पर न्यायिक दृष्टिकोण से लैश
ग्रा...